राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(8) वित्त/राजस्व/17 जयपुर, दिनांकः– 9.7.2026

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति ने वर्ष 2017–18 के लिये राजस्थान लेखा सेवा की कनिष्ठ सेवा संवर्ग से वरिष्ठ सेवा संवर्ग की पदोन्नति हेतु दिनांक 31.08.2023 को सम्पन्न बैठक में श्री रमेश चन्द (अजा) के विरूद्ध पुलिस थाना, हिरणमगरी, उदयपुर में एफ. आई.आर. संख्या 527/2015 धारा 420 एवं 406 में दर्ज होने एवं कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 09.12.2015 द्वारा निलम्बित किये जाने तथा उक्त दोनों धाराओं में दोषी पाये जाने के दण्ड का संज्ञान होने के कारण उनकी पदोन्नति को बंद लिफाफे में रखा गया।

श्री रमेश चन्द (अजा) के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.क्रिमीनल मिसलेनियस पिटीशन संख्या 1289/2026 में न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2026 को निर्णय/स्थगन आदेश पारित किया है। उक्त के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा नियम 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा की कनिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थायी रूप से नियुक्त श्री रमेश चन्द (अजा) का वरिष्ठ सेवा संवर्ग में वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध उक्त नियमों के नियम 28ए के उप नियम (7) के तहत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठ सेवा संवर्ग में विचाराधीन प्रकरण का भविष्य में स्थगन आदेश अपास्त होने की दशा में पदावनत किये जाने की शर्ताधीन स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री रमेश चन्द (अजा) की पदोन्नति उपरान्त Inter se seniority (पारस्परिक वरिष्ठता) वर्ष 2017–18 में श्री मेवाराम बालान एवं श्री सोहन लाल के मध्य रहेगी।

श्री रमेश चन्द (अजा) अपने वर्तमान पद को यथाआवश्यकता अस्थाई तौर पर क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

9.7.26

(पवन जैमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदया, वित्त, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/II) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष।
10. संबंधित अधिकारी।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

9.7.26

संयुक्त शासन सचिव